



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092025-266447
CG-DL-E-26092025-266447

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4262]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025/आश्विन 4, 1947

No. 4262]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ASVINA 4, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2025

का.आ. 4382(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने-भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जारी की गयी अधिसूचना संख्या का.आ. 1611 (अ), दिनांक 16 अप्रैल, 2019 द्वारा-उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29ई) के सोनौली से गोरखपुर खंड पर डिज़ाइन कि.मी. 0.000 (मौजूदा चेनेज कि.मी. 0.000) से डिज़ाइन कि.मी. 81.412 (मौजूदा चेनेज कि.मी. 80.000) तक पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के उपयोग के लिए अपने अधिकारी या संविदाकार के माध्यम से फीस वसूलने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद प्राधिकरण कहा जाएगा) को अधिकृत किया है।

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने एतद्वारा, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना, जो का.आ. 1611(अ), दिनांक

16 अप्रैल, 2019 (जिसे इसके पश्चात् “उक्त अधिसूचना” कहा जाएगा) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई है, में निम्नलिखित संशोधन किए हैं, अर्थात्:

- i. उक्त अधिसूचना के पैरा 1 के अंतर्गत तालिका-2 में, कि.मी 11.070 और कि.मी 75.915 पर फीस प्लाजा का स्थान निम्नानुसार संशोधित होगा: -

फीस प्लाजा (चेनेज) का मौजूदा स्थान	फीस प्लाजा (चेनेज) का संशोधित स्थान
महाराजगंज जिले में छपवा गांव के पास एनएच-29ई के कि.मी.11.070 (कि.मी. 10.600 पर मौजूदा चेनेज) पर	महाराजगंज जिले के चंडीथान गांव के पास एनएच -29ई का कि.मी. 13+700 (मौजूदा चेनेज- 13+665)पर
गोरखपुर जिले में नाइसर गांव के पास एनएच-29ई के कि.मी.75.915 (कि.मी.74.500 पर मौजूदा चेनेज) पर	गोरखपुर जिले के जंगल कौड़िया गांव के पास एनएच -29ई का कि.मी. 77+476 (मौजूदा चेनेज- 78+137) पर

- ii. उक्त अधिसूचना की तालिका-2 के अंतर्गत, वाक्य “तालिका 2 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट फीस प्लाजा को अस्थायी फीस प्लाजा के रूप में इस शर्त के साथ कि भाराराप्रा दो वर्ष की अवधि के भीतर उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार इन फीस प्लाजा को स्थानांतरित करेगा अधिसूचित किया जाता है”, को हटाया जाता है।

[फा. सं. यूपी डिवीजन/128/2024-भाराराप्रा- क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी (उत्तर प्रदेश पूर्व)/ई-247415]

विनय कुमार, अपर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र संख्या का.आ. 1611(अ), दिनांक 16 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2025

S.O. 4382(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1611(E) dated 16th April, 2019, , the Central Government has authorized the National Highways Authority of India to collect, either through its official or through a Contractor for the use of two-lane with paved shoulders of Sonauli to Gorakhpur Section of National Highway No. 24 (old NH 29E) from design km. 0.000 (Existing Chainage Km 0.000) to design km. 81.412 (Existing Chainage Km 80.000) in the State of Uttar Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 to 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and collection) Rules, 2008, the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways published vide S.O. 1611(E), dated 16th April, 2019 (hereinafter referred to as the “said notification”), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:

- i. In Table-2 under para 1 of said notification, the location of Fee Plazas at km. 11.070 and at Km 75.915 shall stand revised as under: -

Existing Location of Fee Plazas (Chainage)	Revised location of Fee Plazas (Chainage)
At km.11.070 (Existing chainage at km. 10.600) of NH- 29E near village Chapwa in Dist. Maharajganj	At Km. 13+700 (Existing Chainage- 13+665) of NH- 29E near village Chandithan in Dist. Maharajganj
At km.75.915 (Existing chainage at km. 74.500) of NH- 29E near village Nainsar in Dist. Gorakhpur	At Km. 77+476 (Existing Chainage- 78+137) of NH- 29E near village Jungle Kaudia in Dist. Gorakhpur

- ii. Under the Table-2 of the said notification, the sentence “*the fee plazas specified in column (1) of Table 2 is notified as temporary fee plazas, with the condition that NHAI will relocate these fee plazas in accordance with rule 8 of the said rules within a period of two years*” stands removed.

[F. No. UPDIV/128/2024-NHAI- RO Varanasi (UP East)/E-247415]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide S.O. 1611(E), dated 16th April, 2019.